



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 767

28 Aashwin, 1938 (S)
Ranchi, Friday, 20th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
18th October, 2017

NOTIFICATION No-36/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 101 – Dated 20th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification no. 4/2017 State Tax (Rate) vide S.O No. 34/2017 dated the 29th June, 2017, published in the Jharkhand Gazette, namely:-

In the said notification,-

(i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal
Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना सं०. 36/2017- राज्य कर (दर)

एस० ओ० 101 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 12 का) की धारा 9 की उपधारा)3 शक्तियों का प्रयोग करते हुएके तहत प्रदत्त (राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एस० ओ० 34 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०. 04/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं०	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रेप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति

2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।